इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 334] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 19 जुलाई 2013—आषाढ़ 28, शक 1935

संसदीय कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 19 जुलाई 2013

क्र. 791-एफ (4)7-2013-दो-अड़तालीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश संसदीय कार्य विभाग (राजपत्रित) सेवा नियम, 1995 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 2 में, उप-नियम (क) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(कक) "समिति" से अभिप्रेत है, अनुसूची-तीन के कालम (5) में यथाविनिर्दिष्ट विभागीय पदोन्नति समिति;";

2. नियम 8 में, उप-नियम (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(4) सेवा में उपलब्ध रिक्त पदों पर पदोन्नति के लिये अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिये क्रमश: 16 प्रतिशत तथा 20 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा :

परन्तु अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के केवल उन्हीं सदस्यों की पदोन्नति के लिये विचार किया जाएगा जो नियम 10 के उप-नियम (2) के अनुसार उनकी ज्येष्ठता के आधार पर अवधारित विचारण क्षेत्र में आते हों और जो नियम 9 के उप-नियम (1) के अधीन पदोन्नति के लिये पात्र हों :

परन्तु यह और कि आरक्षित रिक्त पदों पर पदोन्नति करने के लिये प्रक्रिया सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार होगी.".

3. नियम 9 में,—

"(एक) उप-नियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(2) पदोन्नति के लिए विचारण क्षेत्र तैयार करने के लिये मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के उपबंध लागू होंगे.".

(दो) उप-नियम (5) का लोप किया जाए.

4. नियम 10 में उप-नियम (1) के परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

''उस चालू वर्ष के दौरान होने वाली अप्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये एक प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जाएगी जिसमें दो सदस्य या चयन सूची में सम्मिलित सदस्यों की संख्या के 25 प्रतिशत सदस्य, जो भी अधिक हों, सम्मिलित होंगे.''.

5. अनुसूची एक, दो या तीन के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूचियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

''अनुसूची-एक

(नियम 4, 5, 8, 9 तथा 10 देखिए)

अनु-क्रमांक	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	अपर सचिव	1	प्रथम श्रेणी	रुपये 37400-67000+8700 ग्रेड वेतन
2	उप सचिव	1	प्रथम श्रेणी	रुपये 15600-39100+7600 ग्रेड वेतन
3	अवर सचिव	3	प्रथम श्रेणी	रुपये 15600-39100+6600 ग्रेड वेतन
4	अनुभाग अधिकारी	2	द्वितीय श्रेणी	रुपये 9300-34800+4200 ग्रेड वेतन
5	निजी सचिव	1	द्वितीय श्रेणी	रुपये 9300-34800+4200 ग्रेड वेतन

अनुसूची-दो

(नियम 6 देखिए)

अनु-क्रमांक	सेवा में सम्मिलित पदों का नाम	कर्तव्य पदों की संख्या	भरे जाने वाले कर्तव्य पदों की प्रतिशतता		
			सीधी भर्ती द्वारा	पदोन्नति द्वारा	अन्य सेवाओं से व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	अपर सचिव	1	-	100 प्रतिशत	विभागीय अधिकारी पदोन्नति हेतु उपलब्ध नहीं होने की दशा में प्रतिनियुक्ति द्वारा
2	उप सचिव	1	-	100 प्रतिशत	
3	अवर सचिव	3	-	100 प्रतिशत	
4	अनुभाग अधिकारी	2	-	100 प्रतिशत	
5	निजी सचिव	1	-	100 प्रतिशत	

अनुसूची-तीन

(नियम 6 तथा 9 देखिए)

अनु. क्र.	पदों के नाम जिनसे पदोन्नति की जाना है	पदों के नाम जिन पर पदोन्नति की जाना	सेवा के न्यूनतम वर्ष	विभागीय पदोन्नति समिति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	उप सचिव	अपर सचिव	5 वर्ष	1. मुख्य सचिव—अध्यक्ष 2. प्रमुख सचिव/सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग—सदस्य 3. प्रमुख सचिव/सचिव, संसदीय कार्य विभाग—सदस्य सचिव

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2 3 4	अवर सचिव अनुविभाग अधिकारी निजी सचिव	उप सचिव अवर सचिव	5 वर्ष 3 वर्ष विधि स्नातकों के लिये. 5 वर्ष अन्य के लिये.	1. प्रमुख सचिव/सचिव, संसदीय कार्य विभाग—अध्यक्ष 2. अपर सचिव, संसदीय कार्य विभाग—सदस्य 3. उप सचिव/अवर सचिव (स्थापना), संसदीय कार्य विभाग—सदस्य सचिव.
5 6	सहायक ग्रेड-1 निजी सहायक	अनुभाग अधिकारी निजी सचिव	3 वर्ष विधि स्नातकों के लिये. 5 वर्ष अन्य के लिये.	1. अपर सचिव, संसदीय कार्य विभाग—अध्यक्ष 2. उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग—सदस्य 3. अवर सचिव (स्थापना), संसदीय कार्य विभाग—सदस्य सचिव.".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एल. सी. मोटवानी, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 19 जुलाई 2013

क्र. 792-एफ (4)7-2013-दो-अड़तालीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 791-एफ (4)7-2013-दो-अड़तालीस, दिनांक 19 जुलाई, 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एल. सी. मोटवानी, अपर सचिव.

Bhopal, the 19th July 2013

No. 791-F (4) 2013-II-XLVIII.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Parliamentary Affairs Department (Gazetted) Service Rules, 1995, namely :—

AMENDMENTS

In the said rules,—

1. In rule 2, after sub-rule (a), the following sub-rule shall be inserted, namely :—

"(aa) "Committee" means the Departmental Promotion Committee as specified in column (5) of Schedule III;";

2. In rule 8, for sub-rule (4), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(4) Reservation of 16 percent and 20 percent for the members of Scheduled Castes and Scheduled Tribes shall respectively be made for promotion on the available vacant posts in the service :

Provided that only those members of Scheduled Castes and Scheduled Tribes shall be considered for promotion who are in the zone of consideration on the basis of seniority determined in accordance with sub-rule (2) of rule 10 and are eligible for promotion under sub-rule (1) of rule 9 :

Provided further that the procedure for making promotion on the reserved vacant post shall be in accordance with the instructions issued by the General Administration Department, from time to time.".

3. In rule 9,—

(i) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(2) The provisions of the Madhya Pradesh Public Service (Promotion) Rules, 2002 shall apply for making the zone of consideration for promotion.

(ii) Sub-rule (5) shall be omitted.".

4. In rule 10, for proviso to sub-rule (1), the following proviso shall be substituted, namely :—

"A waiting list consisting of two members or 25 percent of the number of members of the service included in the select list, whichever is more, shall also be prepared to meet the unforeseen vacancies occurring during the period of that current year.".

5. For Schedule I, II and III, the following Schedules shall be substituted, namely :—

"SCHEDULE-I

(See rules 4, 5, 8, 9 and 10)

S.No.	Name of the Posts included in the service	No. of Post	Classification	Scale of Pay
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Additional Secretary	1	Class-I	Rs. 37400—67000+8700 Grade pay
2	Deputy Secretary	1	Class-I	Rs. 15600—39100+7600 Grade pay
3	Under Secretary	3	Class-I	Rs. 15600—39100+6600 Grade pay
4	Section Officer	2	Class-II	Rs. 9300—34800+4200 Grade pay
5	Private Secretary	1	Class-II	Rs. 9300—34800+4200 Grade pay

SCHEDULE-II

(See Rule 6)

S.No.	Name of the posts included in the service	No. of duty posts	Percentage of duty posts to be filled in		
			By direct recruitment	By Promotion	By Transfer of persons from other services
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Additional Secretary	1	-	100%	By deputation in case depatmental offcers are not available for promotion
2	Deputy Secretary	1	-	100%	
3	Under Secretary	3	-	100%	
4	Section Officer	2	-	100%	
5	Private Secretary	1	-	100%	

SCHEDULE-III
(See Rule 6 and 9)

S. No. (1)	Name of the Posts from which the promotion is to be made (2)	Name of the posts to which promotion is to be made (3)	Minimum numbers of years of service (4)	Departmental Promotion Committee (5)
1	Deputy Secretary	Additional Secretary	5 years	1. Chief Secretary—Chairman 2. Principal Secretary/Secretary, General Administration Department—Member. 3. Principal Secretary/Secretary, Parliamentary Affairs Department—Member Secretary
2	Under Secretary	Deputy Secretary	5 years	1. Principal Secretary/Secretary, Parliamentary Affairs Department—Chairman 2. Additional Secretary, Parliamentary Affairs Department—Member 3. Deputy Secretary/Under Secretary (Establishment), Parliamentary Affairs Department—Member Secretary
3	Section Officer	Under Secretary	3 years for Law Graduates 5 years for others	
4	Private Secretary			
5	Assistant Grad-I	Section Officer	3 years for Law Graduates 5 years for others	1. Additional Secretary, Parliamentary Affairs Department—Chairman 2. Deputy Secretary Parliamentary Affairs Department—Member 3. Under Secretary (Establishment), Parliamentary Affairs Department—Member Secretary.".
6	Personal Assistant	Private Secretary		

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
L. C. MOTWANI, Addl. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.